तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज स्थगन प्रार्थना पत्र संख्याः 70/2022	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
29.11.2022	प्रार्थी अपीलार्थी कलबी समाज बरलुट जरिये अध्यक्ष श्री मूपाराम पुत्र भगवान जी, जाति– कलबी, निवासी– बरलुट, श्री खुमाराम पुत्र खंगार जी, जाति– कलबी एवं श्री सांकलाराम पुत्र खीमाजी, जाति– कलबी, निवासी– बरलुट, तहसील एवं जिला– सिरोही के अधिवक्ता श्री उमाराम देवासी उपस्थित। प्रत्यर्थी राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार, सिरोही की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित। प्रार्थी अपीलार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना पत्र नायब तहसीलदार, सिरोही द्वारा प्रकरण संख्या 29/2022 में पारित निर्णय दिनांक 19.10.2022 को निरस्त कराने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 तहत प्रस्तुत की गई अपील के साथ साथ प्रत्यर्थी/अप्रार्थी के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 81 के तहत प्रस्तुत कर नायब तहसीलदार, सिरोही के उक्त निर्णय दिनांक 19.10.2022 के क्रियान्वयन व प्रभाव को ताफैसला अपील स्थगित कराने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थी अपीलार्थीगण के अधिवक्ता श्री उमाराम देवासी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है। प्रत्यर्थी अपने केस को साबित करने में पूर्णतः विफल रहा है, विधि का यह सर्वमान्य एवं सुस्थापित सिद्धान्त है कि वादी अपने पैरों पर खडा हो अर्थात् हल्का पटवारी को अपना केस साबित करना था। अप्रार्थी की कमी या कमजोरी का लाभ प्रार्थी प्राप्त नही कर सकता है। अधीनस्थ न्यायापलय द्वारा दस्तावेजों व रेकर्ड की जांच किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलार्थी कलबी समाज का जिस खसरा संख्या 933 की भूमि पर अतिक्रमण करना बताया है वह भूमि वर्तमान में राजस्व भूमि ही नही है, बल्कि गांव बरलुट में आबादी भूमि में ही अपीलार्थीगण के कलबी समाज की पुराने पुश्तैनी कब्जे भोगवटे की भूमि है जिसमें कई आबादी मकान एवं पट्टाशुदा भूमि स्थित है। उक्त भूमि के पुराना खसरा संख्या 767 मी. थे, उक्त खसरा संख्या 767 मी. में से तत्कालीन जिला कलक्टर, सिरोही के आदेश क्रमांकःसम/80/6683–8700 दिनांक 13.10.1981 के द्वारा आबादी हेतु आवंटित की जाकर ग्राम बरलुट में आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत, बरलुट को सुपर्द कर दी थी एवं नामान्तरकरण संख्या 655 दिनांक 14.1.1983 के द्वारा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हुआ। भूप्रबन्ध के बाद मिसल बंदोबस्त संवत 2060–2079 में उक्त भूमि को सहवन से आबादी न बताकर पुनः गै.मु. ओरण [illegible] भूप्रबन्ध विभाग की गलती का सुधार करने हेतु [illegible] को तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा [illegible] करने हेतु विधि विरुद्ध जमाबन्दी संवत 2067–[illegible] में बिना नामान्तरकरण .....लगातार	

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:27:04 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या: 70/2022	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमे जारी हुए

कारण मौके की स्थिति का सटीक अनुमान वर्तमान रेकर्ड से किया जाना संभव नही है, परन्तु हल्का पटवारी द्वारा पुराने रेकर्ड का अवलोकन किया बिना ही नई जमाबन्दी में गलत इन्द्राज को देखकर अपीलार्थीगण के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत अधीनस्थ न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत की एवं अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सिरोही ने भी रेकर्ड का सही रुप से अवलोकन किये बिना ही केवल हल्का पटवारी, बरलुट की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। यह कि अपीलार्थी कलबी समाज ने उसके पुराने कब्जे स्वामित्व की प्रश्नगत भूमि जो ग्राम बरलुट की आबादी में स्थित है का ग्राम पंचायत, बरलुट से नियमानुसार राशि अदाकर विधिवत पट्टा प्राप्त किया है एवं उसके बाद नियमानुसार निर्माण स्वीकृति ग्राम पंचायत से प्राप्त कर मौके पर पक्का निर्माण करवाया है। इस कारण प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलार्थी कलबी समाज के पक्ष में है एवं यदि अपीलाधीन निर्णय के आधार पर अपीलार्थी कलबी समाज के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है तो अपीलार्थी कलबी समाज को अपूरणीय क्षति होगी। अतः प्रार्थी अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन निर्णय की पालना एवं प्रभाव को ताफैसला स्थगित रखने के आदेश पारित किये जावे। जबकि पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि अपीलार्थीगण द्वारा द्वारा ग्राम बरलुट के खसरा संख्या 933 किस्म गै.मु. रकबा 0.08 हेक्टेयर राजकीय बिलानाम भूमि में अवैध निर्माण किया गया है जिसके संबंध में हल्का पटवारी, बरलुट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर नियमानुसार प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर देते हुए बाद जांच विधि अनुरुप निर्णय पारित किया है। विवादित भूमि ग्राम पंचायत, बरलुट की आबादी भूमि नही होकर राजस्व रेकर्ड में विवादित भूमि राजकीय बिलानाम दर्ज है। ऐसी स्थिति में, सुविधा का संतुलन एवं प्रथम दृष्टया मामला अपीलार्थीगण के पक्ष में नही है। अतः प्रार्थी अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि हल्का पटवारी, बरलुट द्वारा अपीलार्थीगण के विरुद्ध संवत 2078 में ग्राम बरलुट के खसरा संख्या 933 किस्म गै.मु. रकबा 0.08 हेक्टेयर राजकीय बिलानाम भूमि पर अवैध निर्माण करने की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सिरोही में प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण के विरुद्ध प्रकरण रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थीगण को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर तलब किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता

...लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:27:04 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या: 70/2022	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

खोले सिर्फ एक नोट लगाकर आवंटित भूमि को वास्तविक आवंटित जगह मौके से अन्यत्र तरमीम किया गया जिससे खसरा संख्या 933 की बजाय खसरा संख्या 933/1 वर्तमान रेकर्ड में आबादी दर्ज हो गया। पुराना खसरा संख्या 767 मी. के नया खसरा संख्या 933 की उक्त भूमि पर ग्राम पंचायत बरलुट द्वारा जिला कलक्टर, सिरोही के आदेशानुसार पट्टे वितरित किये थे तथा जिसमें से विवादित भूमि अपीलान्ट कलबी समाज द्वारा ग्राम पंचायत बरलुट से मोल कीमतन 97,150/– अक्षरे रुपये सतानवे हजार एक सौ पचास मात्र में खरीद की थी एवं उक्त भूमि की विक्रय पत्रावली का अनुमोदन पूर्ण जांच के बाद तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, सिरोही द्वारा अपने पत्र क्रमांक/पिजसि/पंचायत/ भूमि/2020/402–403 दिनांक 05.6.2002 के द्वारा किया गया जिसके बाद उक्त खरीदशुदा भूमि का ग्राम पंचायत, बरलुट द्वारा पट्टा संख्या 3 दिनांक 10.6.2002 को कलबी समाज के नाम से बाजार दर राशि प्राप्त कर जारी किया गया। तत्पश्चात् अपीलार्थी कलबी समाज ने ग्राम पंचायत, बरलुट से नियमानुसार निर्माण स्वीकृति प्राप्त कर निर्माण करवाया है एवं अपीलार्थी कलबी समाज जिसका उपयोग एवं उपभोग कई वर्षो से करता आ रहा है। यह कि जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा ग्राम बरलुट के पुराने खसरा संख्या 767 मी की की भूमि को आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत, बरलुट को आवंटित कर वर्ष 1981 में ही सुपर्द कर दी थी जिस पर पुराने खसरा संख्या 767 मी. के नये खसरा संख्या मौका स्थिति एवं नक्शा अनुसार 933 ही बने है। राजस्व रेकर्ड एवं दस्तावेजी साक्ष्य मिलान खसरा क्षेत्रफल से भी स्पष्ट है कि ग्राम बरलुट के पुराने खसरा संख्या 767 मी. से नये खसरा संख्या 933 बने है जिसे हल्का पटवारी द्वारा बिना किसी आधार व बिना किसी तरमीम के खसरा संख्या 767 मी. के नया खसरा संख्या 933 के स्थान पर 933/1 बताकर एवं उक्त खसरा संख्या 933 को बिलानम राजस्व भूमि बताकर जमाबन्दी में गलत इन्द्राज किया है जबकि मिलान क्षेत्रफल व राजस्व नक्शा में में मौके पर खसरा संख्या 933/1 है ही नही, जिसकी राजस्व कर्मचारियों को पूर्ण जानकारी है। ग्राम पंचायण्त, बरलुट की आबादी भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में जमाबन्दी के अनुसार नक्शें में मिलान नही हो पा रही है अर्थात् जमाबन्दी मे जितनी आबादी भूमि ग्राम पंचायत बरलुट के खाते में इन्द्रजा है उतनी भूमि राजस्व नक्शें में तरमीम नही है, इस सन्दर्भ में ग्राम बरलुट के राजस्व रेकर्ड के जमाबंदी अनुसार नक्शें में भूमि/रकबा तरमीम करवाये जाने के लिये व राजस्व नक्शा शुद्धिकरण करवाने हेतु धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनि[illegible] कार्यवाही भू अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी [illegible] सिरोही के न्यायालय में ग्राम पंचायत द्वारा [illegible] संख्या 01/2016 है जो अभी [illegible] इससे यह स्पष्ट है कि राजस्व ग्राम बरलुट के राजस्व [illegible]र्ड/नक्शें में त्रृटि होने के

.....लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:27:04 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या: 70/2022	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

ने उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों के संबंध में हल्का पटवारी, बरलुट एवं भू अभिलेख निरीक्षक, बरलुट से जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई है। राजस्व रेकर्ड अनुसार ग्राम बरलुट, पटवार हल्का बरलुट के खसरा संख्या 933 किस्म गै. मु. रकबा 0.08 हेक्टेयर भूमि राजकीय बिलानाम भूमि है एवं अपीलार्थीगण द्वारा राजकीय बिलानाम भूमि में अवैध कब्जा कर निर्माण किया है। ऐसी स्थिति में, प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलार्थीगण के पक्ष में नही है तथा न ही अपीलार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी।

अतः अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 81 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 को खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(के.आर.खौड)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:27:04 IST
Reason: SelfAttested